

# संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

नार्थ- ब्लॉक, सेक्टर 19, रचारथ्य भवन, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

क्रमांक 7117/छात्र/काउंसिलिंग/संचिशि/2024

रायपुर, दिनांक:

25 JUL 2024

## प्रवेश सत्र 2024 छत्तीसगढ़ राज्य के दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (MDS) की राज्य कोटा एवं प्रबंधन कोटा में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन की सूचना

प्रवेश सत्र 2024 छत्तीसगढ़ राज्य के दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर सीटों (MDS) पर प्रवेश के लिये राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित NEET-MDS-2024 द्वारा घोषित पात्र अभ्यर्थियों (Cut off Score - As per National Board of Examinations [संलग्न देखें] ) निम्न समय-सारणी के अनुसार ऑनलाईन आवेदन शुल्क सहित आमंत्रित है। (आवेदन के पूर्व लागू छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2017 का अवलोकन अवश्य करे) :-

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	ऑनलाईन आवेदन शुल्क Online Application Fee (Non refundable)	राशि रु. 2,000/- (रु. दो हजार मात्र)
2	ऑनलाईन आवेदन - प्रारंभ तिथि	दिनांक 26 जुलाई 2024 समय (Server Time) 11:00 Hrs. (11:00 AM) से
3	ऑनलाईन आवेदन - अंतिम तिथि	दिनांक 31 जुलाई 2024 समय (Server Time) 23:59 Hrs. (11:59 PM) तक
4	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग (Choice Filling and Locking)	दिनांक 26 जुलाई 2024 समय (Server Time) 23:59 Hrs. (11:59 PM) से दिनांक 01 अगस्त 2024 समय (Server Time) 23:59 Hrs. (11:59 PM) तक

ऑनलाईन पंजीयन से संबंधित वांछित दस्तावेजों की जानकारी हेतु छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम 2017 के नियम 9 "काउंसिलिंग प्रक्रिया" का अवलोकन करे।

छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम 2017 संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेब-साईट वेबसाइट [www.cgdme.in](http://www.cgdme.in) पर उपलब्ध है। वेबसाईट का नियमित अवलोकन वांछनीय है।

### नोट :-

1. आनलाईन शुल्क भुगतान हेतु नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआई (Net Banking, Debit card, Credit card, and UPI options are available) उपलब्ध है।
2. यदि ऑन-लाईन आवेदन पूर्ण करने के बाद Lock & Submit भी कर चुके है, तब भी ऑनलाईन आवेदन में परिवर्तन करना चाहते है तो परिवर्तन हेतु निशुल्क Reset करने की सुविधा आवेदन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगी।
3. आवेदन शुल्क का भुगतान अंतिम तिथि से कम से कम 36 घण्टे पूर्व कर दें, चूंकि बैंक गेटवे इत्यादि संबंधित जटिलताओं से कई बार ऑनलाईन किये गये भुगतान का क्लियरन्स (clearance) 24 घण्टे ले लेता है। ताकि आपको अतिरिक्त शुल्क न देना पड़े।
4. काउंसिलिंग प्रक्रिया की जानकारी हेतु नियमित वेबसाइट [www.cgdme.in](http://www.cgdme.in) एवं [www.cgdme.admissions.nic.in](http://www.cgdme.admissions.nic.in) अवलोकन करें।
5. काउंसिलिंग की समस्त प्रक्रिया (पंजीयन राशि भुगतान, संस्था तथा विषय चयन, च्वाइस लॉकिंग, बोनस अंक इत्यादि) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं किया जाता है, इसलिए अपूर्ण अथवा गलत जानकारी प्रदाय करने की स्थिति में अगर अभ्यर्थी का पंजीयन अथवा आर्बटन निरस्त किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल अभ्यर्थी की होगी एवं यह कार्यालय अथवा काउंसिलिंग समिति किसी भी तरह से जिम्मेदारी नहीं होगी।

  
25/07/2024  
अध्यक्ष,  
काउंसिलिंग समिति,  
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा .

  
संचालक चिकित्सा शिक्षा  
छत्तीसगढ़